

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), मुकाम नीमकाथाना  
लालचन्द बनाम महिपाल वगै०

किस्म मुकदमा

वाद पत्र 53, 188

मु० न० 147/2024

जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

024

रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 03.12.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

3/12 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यरथ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

3/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सध आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/12/24 को पेश हो।

3/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सध आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/12/24 को पेश हो।

2/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप महशुदिय (उकल) में सुनवाई छु-छाट-छाट आज लगवाई गई। आवजद छाट-छाट आज लगाने पर वकूलाप क्षयका पत्रकारान में से हाजिर नपाकर नहीं आया। अतः कार्यवाही अकल में अदर हाजरी अदर देखी में खाडीज की जारी होफालकी फेसल शुमार छेकट नमाल है कठ छेकट फालत याखिल है।

निर्णय स्वी वजलास सुनाया गया  
सहायक कलक्टर (F.T.)  
नीमकाथाना (सीकर)

